

भारत सरकार  
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009  
Fax: 0484-2668468  
Website : [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
e-mail : [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)  
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009  
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864  
Telephone 0484-2666774 / 2666776  
Control Room 0484-2666422  
An IS 15700 certified Custom House

## परिपत्र CIRCULAR. No. 20 / 2016-17

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 29.06.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित

**Sub: Customs Clearance Facilitation Committee—Minutes of the meeting held on 29.06.2016—Reg.**

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.06.2016 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 12<sup>th</sup> meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.30 PM on 29.06.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. Aneish P. Rajan, Deputy Commissioner
2. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
3. B. Umadevi, Asst. Commissioner
4. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
5. Debashish Paul, Asst. Commissioner
6. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
8. Gomathy G., Superintendent of Customs

सीमाशुल्क से विचार-विमर्श करने वाले विभागों/एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि: सर्वश्री  
Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. K. Raghupathy, Textile Committee
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
3. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
4. Dr. Jestu George, FSSAI, Cochin

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और नए मुद्दों पर चर्चा की।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of last meeting were taken up for discussion and there after fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

**ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING**

बिंदु 1 : शीतीकृत समुद्री माल की निकासी में विलंब (परिपत्र सं. 15/2016 में बिंदु 3)

Point 1 : PENDENCY IN CLEARANCE OF FROZEN MARINE CONSIGNMENTS (Point 3 in Circular No. 15/2016)

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि कोच्ची में पशु संगरोध (ए.क्यू.) अधिकारी के न होने के कारण शीतीकृत समुद्री माल में हो रहे विलंब के मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया और इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क गृह में ए.क्यू. से एक अधिकारी को तैनात किया गया और वे गुरुवार और शुक्रवार को सीमाशुल्क गृह में उपलब्ध होंगे। सदस्यों ने इस खबर का स्वागत किया।

*The chair informed the members that the issue of pendency in clearance of frozen marine consignments due to absence of Animal Quarantine (AQ) officer in Kochi was taken up with the concerned authorities and as a result of that an officer from AQ has been posted in Custom House and he will be available in Custom House on Thursdays and Fridays. The members welcomed this news.*

बिंदु 2 : सेबों की निकासी में विलंब (परिपत्र सं. 15/2016 में बिंदु 4)

Point 2 : DELAY IN CLEARANCE OF APPLES (Point 4 in Circular No. 15/2016)

अध्यक्ष महोदय ने मेसर्स पी.जे. जोनसन फ्रूट कंपनी द्वारा आयातित सेबों के माल के बारे में पूछताछ की जिसके लिए कंपनी ने अपील दायर की थी।

*The chair enquired about the consignment of apples imported by M/s P.J. Johnson Fruit Company for which appeal was filed by them.*

एफएसएसएआई ने सूचित किया कि उस माल को निकासी दी गई है।

FSSAI informed that the said consignment has been cleared.

बिंदु 3 : सिंगल विंडो के तहत संदर्भित न किए गए खाद्य कन्साइन्मेंट (परिपत्र सं. 15/2016 में बिंदु 7)

Point 3: FOOD CONSIGNMENTS NOT REFERRED UNDER SINGLE WINDOW (Point 7 in Circular No. 15/2016)

सिंगल विंडो द्वारा एफएसएसएआई को संदर्भित नहीं किए गए खाद्य कन्साइन्मेंट के मामले के संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सिस्टम में खाद्य कन्साइन्मेंटों के अद्यतीकरण का काम प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

*With respect to the issue of food consignments that are not referred to FSSAI by single window, the chair informed that the updation of food consignments in the system are in progress and the same will be completed shortly.*

बिंदु 4: कोचिन में प्रयोगशाला स्थापित करनाPoint 4: SETTING UP OF LAB IN COCHIN

कपड़ा समिति के श्री के. रघुपति ने सूचित किया कि कपड़ों के परीक्षण के लिए कोचिन में स्थापित की जा रही प्रयोगशाला अगस्त तक तैयार हो जाएगी।

Shri. K. Raghupathy of Textile Committee informed that the lab for testing facilities being set up in Cochin would be ready by August.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु**FRESH POINTS TAKEN FOR DISCUSSION**बिंदु 5 : इयूटी फ्री शॉप्स के कन्साइन्मेंटों के लिए एफएसएसएआई निकासीPoint 5: FSSAI CLEARANCE FOR CONSIGNMENTS TO DUTY FREE SHOPS

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि उन्हें अपने मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है और नये निदेशों (फा.सं. 15017/131/2014-FSSAI/Legal दिनांक 03 जून, 2016) के अनुसार इयूटी फ्री शॉप्स खाद्य आयात निकासी की सीमा से बाहर हैं इसलिए उन्हें नमूना लेने से छूट दी गई है। उन्होंने सीमाशुल्क से अनुरोध किया कि वे 100% ई.ओ.यू. की तरह आगम पत्र में 'इयूटी फ्री शॉप्स के लिए' पद जोड़ें। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि ऐसे मामलों में जहां आयातक एफआईसीएस में आवेदन करता है, उन्हें इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि यह एफएसएसएआई की खाद्य आयात निकासी के दायरे में नहीं आता है।

The FSSAI official informed that they have received communication from their Headquarters and as per the latest direction ( F. No. 15017/131/2014-FSSAI/Legal dated 3 rd June 2016 ), duty free shops are outside the ambit of food Import Clearance and hence they are exempted from sampling. He requested customs to include the term 'For duty free shops' in Bill of Entry just like 100% EOUs. He informed the chair that in such cases if importer apply in FICS, they will be issued a certificate stating it does not come under the purview of Food Import Clearance of FSSAI.

बिंदु 6: सिंगल विंडो के तहत संदर्भित न होने पर एफआईसीएस में हाथ से दायर करनाPoint 6: MANUAL FILING IN FICS WHEN NOT REFERRED IN ONE WINDOW

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि उन्होंने ऐसे माल के लिए हाथ से निकासी देना पुनः जारी कर दिया है जिनके लिए एफएसएसएआई निकासी आवश्यक है लेकिन वे सिंगल विंडो में एफएसएसएआई को संदर्भित नहीं किए गए हैं। पहले सीएचए स्वयं हाथ से फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते थे, लेकिन अभी उन्हें एफएसएसएआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुरोध करना पड़ेगा और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही हाथ से फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंतिम निकासी भी सिंगल विंडो से नहीं हाथ से दी जाए।

The FSSAI official informed that they have restored manual clearance for consignments which require FSSAI clearance but not referred to FSSAI in Single Window. Earlier the CHAs themselves could have initiated manual filing, but now they have to request to the authorized officer of FSSAI and only the authorized officer can initiate manual filing. He further stated that the final clearance will also be given manually and not in single window.

बिंदु 7 : व्यक्तिगत बैगेज के संबंध में एफएसएसएआई निकासी

#### Point 7: FSSAI CLEARANCE IN RESPECT OF PERSONAL BAGGAGE

एफएसएसएआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि जब व्यक्तिगत बैगजों के लिए एफएसएसएआई निकासी अपेक्षित होती थी, तब उन्हें सीमाशुल्क से अनुरोध प्राप्त होता था। अभी व्यक्ति स्वयं या उनकी एजेंसी निकासी के लिए उनसे संपर्क करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इसे केवल सीमाशुल्क के निर्देश के अधीन बनाया जाए।

The FSSAI official informed the chair that at the instances when personal baggage required FSSAI clearance, they used to get a request from Customs. Now the persons themselves or the agencies approach them for clearance. He requested that it should be made only under Custom's reference.

*अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि कभी-कभी जब यात्री वाणिज्यिक मात्रा में अपने बैगज में खाद्य वस्तुएं ले आते हैं, तो व्यक्तिगत बैगजों के लिए एफएसएसएआई निकासी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह केवल सीमाशुल्क निर्देश होने पर ही दी जानी चाहिए।*

*The chair replied that at times personal baggage require FSSAI clearance when passengers bring food items in commercial quantity in their baggage. He further stated that the same should be under Custom's reference only.*

#### बिंदु 8 : एस.ई.जेड. से एफएसएसएआई निकासी के लिए आवेदन

#### Point 8: REQUEST FROM SEZ FOR FSSAI CLEARANCE

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि निकासी प्रदान करके उनकी सहायता करने के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र से उन्हें अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या एस.ई.जेड. के कन्साइन्मेंटों की निकासी के लिए सीमाशुल्क में आगम पत्र दायर किया जाएगा।

The FSSAI official informed that they have received request from Special Economic Zone for their assistance by giving clearance. He enquired whether B/E will be filed in Customs for clearance of consignments in SEZ.

*अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि एस.ई.जेड. की इकाइयों को अपना माल घरेलू शुल्क क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी गई है और इसके लिए एस.ई.जेड. के उचित कार्यालय में आगम पत्र दायर किया जाएगा।*

*The chair replied that the units in SEZ are permitted to sell their good to Domestic Tariff Area and for that B/E will be filed before the proper office in SEZ.*

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि एस.ई.जेड. में उनका अधिकारक्षेत्र नहीं है और इस कार्य के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रभार की आवश्यकता है।

The FSSAI official informed that they do not have jurisdiction in SEZ and need additional charge for the same.

#### बिंदु 9 : रुकने का समय

#### Point 9: DWELL TIME

*अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि वर्ष 2012 में रुकने का समय 18 दिन था और वर्ष 2016 में यह घट कर 9 दिन से भी कम हो गया है, उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सिंगल विंडो के कार्यान्वयन के बाद भी रुकने का समय काफी हद तक सीमा के भीतर है।*

*The chair informed the members that the dwell time in 2012 was 18 days and the same has been reduced to less than 9 days in 2016, which he said was a great achievement. He further stated that even after the implementation of single Window the dwell time is reasonably within limits.*

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

*Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.*

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in)/[ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com).

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

**आयुक्त COMMISSIONER**

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 18.07.2016

**//अनुप्रमाणित Attested//**

Sd/-

(गोमती जी. GOMATHY G.)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members